

कार्यालय महानिरीक्षक : सीमान्त मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल, मिजोरम एवं कछार गासिमपुर (असम)

//// आदेश ///

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, (फाइनेन्स विंग) पत्र संख्या 36/1/86-2023/फाइनेन्स/सी0सु0बल/1768-2070 दिनांक 04 जुलाई 2023 के तहत सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को मिली वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन बुकलेट परिशिष्ट 'बी' की मद संख्या 9 (i) के द्वारा महानिरीक्षक सीमान्त मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, मिजोरम एवं कछार, को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 184 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के CWJC No. 1232 of 2023 titled Jabeena Begam w/o Ishfaq Majid Lone Vs UOI & Others before Hon'ble High Court of J&K at Srinagar की पैरवी करने के लिए भुगतान हेतु Sh. Tahir Majid Shamsi, Deputy Solicitor General, UOI, J&K High Court at Srinagar द्वारा प्रेषित लीगल चार्ज बिल संख्या - TMS/ASG/20309 दिनांक 12.01.2024, रुपये 9,000/- (रुपये नौ हजार ) मात्र का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 यह खर्च, मुख्य शीर्ष 2055 राजस्व के उप-शीर्ष 00.105 डी जी सीमा सुरक्षा बल के आव्जेक्ट शीर्ष 01.03.28 प्रोफेशनल सर्विसेस (Professional Services) के अंतर्गत ग्रांट संख्या-51-पुलिस के अधीन है, 184 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, के प्रोफेशनल सर्विसेस (Professional Services) वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत आवंटित किए गए बजट में से वहन किया जायेगा।

सं.: विधि/सी.मु.मि.क./सीसुबल/लीगल बिल/2024/249158

(कुलदीप कुमार मिश्र)

सहायक कमाण्डेंट (विधि)

दिनांक...०४... मार्च 2024

सीमान्त मुख्यालय एम एन सी0

प्रतिलिपि:-

1. RPAO, Shillong
2. लेखा शाखा, एम एन सी फंटियर
3. क्षेत्रीय मुख्यालय सी.सु.बल, आईजोल
4. संचार शाखा, एम एन सी फंटियर

5. 184 बटालियन, सी.सु.बल

6. हिन्दी गार्ड फाईल।

7. फाईल।

कृपया आपके सूचना हेतु।

कृपया आपके सूचना हेतु।

कृपया आपके मुख्यालय के पत्र संख्या 750-53 दिनांक 01.03.2024 के तहत सूचना एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

कृपया इस शाखा के पत्रांक सं. 412-53 दिनांक 21 जून 2018 के तहत सूचना एवं वेबरसाइट में अपडेट करने हेतु।

कृपया क्षेत्रीय मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल आईजोल के पत्र संख्या 750-53 दिनांक 01.03.2024 के तहत लीगल चार्ज विधि विंग के अधिकारी की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के साथ इस आदेश के साथ संलग्न प्रतिलिपि की मूल प्रतिलिपि बल बजट में जारी की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रहा है।